नम्बर व तारीख

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/183
मिसल नम्बर– 53/2024

1.चन्द्रप्रकाश जैन पुत्र दीपचन्द जैन उम्र 70 वर्ष
2.मंजूलता पत्नी चन्द्रप्रकाश जैन उम्र 65 वर्ष निवासीगण 365 रिद्धी सिद्धी नगर प्रथम बून्दी प्रथम बून्दी रोड, कुन्हाडी कोटा

प्रार्थीगण।

बनाम

1.मोनिका जैन पत्नी मयंक जैन पुत्री स्व0 विमलचन्द जैन प्रथम पता 365 रिद्धी रिद्धी प्रथम बून्दी रोड कुन्हाड़ी कोटा राज0 द्वितीय पता म0नं0 26 जैन दिवाकर के सामने, समता भवन के पीछे, वर्धमान एनक्लेव के पास, गुलाबबाड़ी कोटा
2.थानाधिकारी महोदय, थाना कुन्हाड़ी कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 25/2/25

उपस्थिति:–

1.श्री रामस्वरूप चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2.श्री वीरेन्द्र कुमार राठौर अधिवक्ता अप्रार्थी नं0 1

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 1, 70 वर्षीय एवं प्रार्थी संख्या 2, 65 वर्षीय है जो सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं तथा उक्त दो मंजिला एक डुप्लेक्स मकान वाके 365 रिद्धी सिद्धी नगर प्रथम बून्दी रोड़ कुन्हाडी कोटा में ग्राउण्ड फ्लोर में निवास करते हैं उक्त मकान का वास्तविक एवं पंजीकृत स्वामी प्रार्थीगण का बडा पुत्र मनीष जैन है। प्रतिपक्षी संख्या 1 प्रार्थीगण के पुत्र मयंक जैन की पत्नी है जो उक्त मकान की प्रथम तल पर अपने पति व बच्चों के साथ निवास करती है एवं भूतल पर फ्रन्ट भाग में ब्यूटी पार्लर का कार्य करती है। प्रतिपक्षी संख्या 2 थाना कुन्हाडी कोटा का थानाधिकारी है जिस क्षेत्र में प्रार्थीगण/सीनियर सिटीजन निवास करते हैं जो प्रार्थीगण सीनियर सिटीजन के जीवन को संरक्षण प्रदान करने के लिये विधिक रूप से दायित्वाधीन है। प्रार्थीगण का पुत्र मनीष नौकरी के कारण इण्डिया से बाहर हांगकांग में रहने के कारण प्रार्थीगण की देखभाल करने तथा उनकी सुरक्षा की दृष्टि एवं उनकी सेवा सुश्रूषा के आशय से तथा प्रतिपक्षी नं0 1 व उसके पति मयंक जैन को भाई की पत्नी एवं भाई होने से प्रेमवश व स्नेहवश उक्त परिसर में बतौर लाईसेन्सी निवास करने की अनुमति प्रार्थीगण के पुत्र मनीष के द्वारा दी गई थी तथा माता –पिता ग्राउण्ड फ्लोर में निवास करते हैं। मोनिका

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधि...
कोटा

अपने पति मयंक के साथ आये दिन मारपीट करती है कपड़े फाड़ देती है तथा शरीर पर नोचने के निशान हो जाते हैं तथा मयंक जैन मिर्गी का रोगी है तथा प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच एवं मारपीट करती है तथा प्रार्थीगण की ओर जूते चप्पन फेंककर मारती है तथा प्रतिपक्षी मोनिका, शीला, शैफाली प्रार्थीगण को धमकियां देते हैं कि प्रार्थीगण के बड़े पुत्र मनीष जैन से उक्त मकान की रजिस्ट्री प्रतिपक्षी मोनिका के पक्ष में करवाये या 50 लाख रूपये नकद दिलाये अन्यथा मोनिका प्रार्थीगण के विरूद्ध दहेज या आत्महत्या जैसे अन्य झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकियां देते हैं जिसकी रिपोर्ट प्रार्थीगण द्वारा थाना कुन्हाडी कोटा में की तो उनके द्वारा प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध कार्यवाही नहीं, की और इसी अनुक्रम में प्रतिपक्षी मोनिका प्रार्थीगण तथा प्रार्थी के छोटे पुत्र मयंक जैन के विरूद्ध झूंठी शिकायत थाने में करती रहती है ताकि प्रार्थीगण को बाध्य किया जा सके प्रतिपक्षीगण की मांग पूरी करने के लिये। इस तरह से प्रतिपक्षीगण के द्वारा प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच की मारपीट की जाती है तथा उक्त मकान की रजिस्ट्री प्रतिपक्षी मोनिका के नाम ट्रांसफर करवाने या 50 लाख रूपये नकद की मांग की जा रही है अन्यथा झूंठे केसो में फंसाने की धमकियां लगातार दी जा रही है जिससे प्रार्थीगण भयाग्रस्त है तथा थाना कुन्हाड़ी के द्वारा प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने के कारण प्रतिपक्षीगण के हौसले बुलन्द होते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थीगण जो कि सीनियर सिटीजन है की जान की सुरक्षा किया जाना परमावश्यक तथा प्रतिपक्षीगण को उनके द्वारा कारित कृत्य के लिये दण्डित किया जाना परमावश्यक है। प्रार्थीगण सीनियर सिटीजन होने से अपने बडे पुत्र मनीष जैन के मकान में शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी भय, किसी गंभीर घटना की संभावना के भय से सुरक्षित जीवन जीने के अधिकारी है तथा प्रार्थीगण के जीवन को सुरक्षित एवं भयमुक्त रखने की वैधानिक जिम्मेदारी प्रतिपक्षी संख्या 2 की है। जिसके संबंध में प्रार्थीगण द्वारा कई बार प्रतिपक्षी संख्या 1 के द्वारा कारित गाली गलौच व मारपीट के संबंध में तथा प्रतिपक्षी संख्या 1 अपनी बहने शीला व शैफाली को घर पर बुलाकर प्रार्थीगण को धमकी देते हैं एवं गाली गलौच करते हैं जिसकी प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में शिकायत की गई थी किन्तु उसके बावजूद भी प्रतिपक्षी संख्या 2 के द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण प्रतिपक्षी संख्या 1 तथा उसकी बहन शीला व शैफाली के हौसले बुलन्द होने से प्रतिपक्षी संख्या 1 प्रार्थीगण को तथा उसके पुत्र मयंक जैन को जो कि मिर्गी का रोगी है के साथ मारपीट व गाली गलौच करती है तथा थाने में जाकर प्रार्थीगण के विरूद्ध झूंठी रिपोर्ट दर्ज करवाती रहती है जिससे प्रार्थीगण काफी डरे हुये हैं क्योंकि प्रतिपक्षी संख्या 1 प्रार्थीगण को गंभीर झूंठे केसो में फंसाने की धमकियां दे रहे हैं इसलिये प्रार्थीगण ने स्वयं को झूठे मुकदमों से बचाने के लिये अपने घर में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करवा दिये हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिपक्षीगण को आदेशित किया जावे कि प्रतिपक्षी संख्या 1 प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करे और ना ही झूंठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दे और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करे तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। प्रतिपक्षी संख्या 2 को आदेशित किया जाये कि वह प्रार्थीगण सीनियर सिटीजन के जीवन को संरक्षण प्रदान करे तथा उनके जीवन को सुरक्षित करना सुनिश्चित करे तथा इस हेतु प्रतिपक्षी संख्या 1 की बहन शीला तथा शैफाली के विरूद्ध समुचित कार्यवाही करें।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थी नं0 1 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये परन्तु जवाब प्रस्ततु नही किया गया अतः जवाब का अवसर बंद किया गया।

अप्रार्थी नं0 2 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुये अतः एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी नं0 1 का जवाब बन्द करने एवं अप्रार्थी नं0 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीगण की ओर से बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये अप्रार्थी नं0 1 को पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि अप्रार्थी नं0 1 प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच एवं मारपीट करती है तथा प्रार्थीगण की ओर जूते चप्पन फेंककर मारती है तथा प्रतिपक्षी मोनिका, शीला, शैफाली प्रार्थीगण को धमकियां देते हैं कि प्रार्थीगण के बड़े पुत्र मनीष जैन से उक्त मकान की रजिस्ट्री प्रतिपक्षी मोनिका के पक्ष में करवाये या 50 लाख रूपये नकद दिलाये अन्यथा मोनिका प्रार्थीगण के विरूद्ध दहेज या आत्महत्या जैसे अन्य झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकियां देते हैं। अप्रार्थी नं0 1 की ओर प्रकरण में जवाब पेश नही किया गया और न ही बहस हेतु उपस्थित हुये है अतः अप्रार्थी नं0 1 की ओर से प्रार्थीगण की कथनों का किसी प्रकार से कोई खण्डन नही किया है जिस कारण से प्रार्थीगण के द्वारा किये गये कथन अखण्डनीय रहे है एवं जिन पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण उत्पन्न नही होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा किये गये कथन उचित प्रतीत होते है। प्रार्थीगण को पुत्रवधु मोनिका द्वारा वृद्धावस्था में सेवा सुषुश्रा, कर्तव्य पालन न करके शारीरिक एवं मानसिक प्रताडित किया जा रहा है। जिससे प्रार्थीगण त्रस्त है। अप्रार्थी नं0 1 एक ही मकान में रहते हुये निरंतर अवसाद–मानसिक अशांति उत्पन्न करते रहते है। जिस कारण से प्रार्थीगण को वृद्धावस्था में सम्मानजनक एवं शांतिपूर्वक जीवन जीने से वंचित होना पड़ रहा है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थी नं0 1 को पाबंद किया जाता है कि अप्रार्थी नं0 1 प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करे और ना ही झूंठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दे और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करे तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 25/2/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा